पत्रांक– 01 / स्टे०–03–32 / 2025.......50/अ०

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग

(कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य प्रभाग)

फोनः 0651–2400981, फैक्सः0651–2400982, ई–मेलः govjharkhandtourism@gmail.com

प्रेषकः

मुकेश कुमार,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

उपायुक्त,
धनबाद।

राँची, दिनांक 02.07.2026

विषयः– **धनबाद जिलान्तर्गत कलियासोल प्रखण्ड के मौजा–कलियासोल में प्रखण्ड स्तरीय स्टेडियम निर्माण हेतु रू० 1,00,00,000 / – (एक करोड़) मात्र निधि का आवंटन।**

प्रसंग – विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०–08 / रा०, दिनांक–29.04.2026 एवं प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश संख्या–95 / रा०, दिनांक–28.03.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक आदेशों एवं उपायुक्त, धनबाद के पत्रांक– 293 / जि०खे०, दिनांक– 16.10.2025 के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026–27 के योजना बजट मुख्य शीर्ष 4202– शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय– उप मुख्य शीर्ष–03–खेलकूद तथा युवा सेवा – लघु शीर्ष –102– खेलकूद स्टेडिया– उपशीर्ष –22– स्वामी विवेकानन्द स्मारक सहित राज्य के विभिन्न खेल संरचनाओं का निर्माण एवं उन्नयन– विस्तृत शीर्ष–05– निर्माण– प्राथमिक इकाई– 45– निर्माण कार्य इकाई मद में उपबंधित राशि से रू० 1,00,00,000 / – (एक करोड़) मात्र निधि आवंटित की जाती है। (विपत्र कोडः 52S42020310222000545)

2. आवंटन की विवरणी निम्नवत् हैः–

क्र०	आवंटित किये जाने वाले पदा० का पदनाम	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृत राशि	वर्त्तमान आवंटित राशि (राशि रू० में)
1	2	3	4	5
1	उपायुक्त, धनबाद	कलियासोल प्रखण्ड के मौजा–कलियासोल में प्रखण्ड स्तरीय स्टेडियम निर्माण (मौजा सं०–156, खाता सं०–336, प्लाट नं०–374, रकबा–2.68 एकड़ मौजा सं०–156, खाता सं०–336, प्लाट नं०–2918, रकबा–0.84 एकड़ मौजा–पाथरकुआं, मौजा सं०–149, खाता सं०–685, प्लाट नं०–1819, रकबा–2.83 एकड़)	2,60,08,400 / –	1,00,00,000 / –
		कुल	**2,60,08,400 / –**	**1,00,00,000 / –**

(एक करोड़) रूपये मात्र।

3. उक्त आवंटित राशि से निम्न कार्य कराय जायेगाः–

(i) Construction of Pavilion Building with its Electricity and Sanitation
(ii) Construction of Gallery Type A
(iii) Construction of Boundary Wall
(iv) Provision of Toilet, Borewell, Entry Gate, Horticulture and Septic Tank.
(v) Construction of Football Ground and Moorum Running Track
(vi) Detailed Estimate of Septic Tank, Bore, Horticulture, Rain Water Harvesting and Paver Block
(vii) Installation of High Mast Light.

4. उपायुक्त, धनबाद द्वारा योजना का क्रियान्वयन उनके कार्यालय पत्रांक– 293 / जि० खेल, दिनांक– 16.10.2025 के साथ संलग्न अंचल अधिकारी, कलियासोल के पत्रांक–106, दिनांक–15.03.2025 के द्वारा चिन्हित सरकारी भूमि पर बगैर स्थल परिवर्त्तन के नियमानुसार कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

5. राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उपायुक्त, धनबाद होंगे तथा इसकी निकासी जिला कोषागार, धनबाद से की जायेगी।
6. उपायुक्त, धनबाद द्वारा योजना का कार्यान्वयन पी०डब्लू०डी० कोड के आलोक में मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र, धुर्वा, राँची द्वारा विषयांकित योजना से संबंधित तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के अनुरूप ही कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
7. विषयांकित योजना दिनांक–31.12.2026 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
8. योजना का कार्यान्वयन प्रशासनिक स्वीकृति की राशि के अंतर्गत निर्धारित समय–सीमा में ही कराया जाएगा ताकि पुनरीक्षण की आवश्यकता न पड़े।
9. उपायुक्त, धनबाद द्वारा विषयांकित योजना का कार्यान्वयन करने के क्रम में चिन्हित स्थल पर सूचना पट्ट (जिसमें प्रशासी विभाग का नाम, कार्यकारी एजेंसी एवं संवेदक का नाम, एकरारित राशि, कार्य प्रांरभ होने की तिथि एवं कार्य पूर्ण होने की तिथि दर्ज हो) अधिष्ठापित करवाना सुनिश्चित करेंगे।
10. स्टेडियम निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त स्टेडियम को संबंधित जिला क्रीड़ा पदाधिकारी के माध्यम से जाँचोपरान्त निदेशक, खेलकूद एवं युवा कार्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची को हस्तगत कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
11. आवंटित राशि किये गये कार्य के विरूद्ध व्यय किया जायेगा तथा बगैर विभाग के पूर्व अनुमोदन से अग्रिम राशि की निकासी नहीं की जायेगी।
12. योजना का कार्यान्वयन के क्रम में राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561/वि०, दिनांक–17.04.98 एवं कोषागार संहिता के नियम–174 तथा वित्त विभाग के पत्रांक–1955, दिनांक–19.08.05 तथा वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों, वित्त नियमावली, झारखण्ड कोषागार संहिता तथा झारखण्ड लोक निर्माण संहिता का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा।
13. राशि का विचलन कदापि नहीं किया जाए अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः उत्तरदायी होंगे।
14. यदि प्रश्नगत कार्य पर किसी अन्य मद से राशि स्वीकृत/व्यय की गयी है या की जा रही है, तो इस आवंटन से राशि का व्यय नहीं किया जायेगा।
15. उपायुक्त, धनबाद समय–समय पर कार्य की प्रगति की समीक्षा करेंगे तथा कार्य का पर्यवेक्षण/निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन करायेंगे तथा प्रत्येक माह, मासिक प्रगति प्रतिवेदन (भौतिक एवं वित्तीय) विभाग को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे।
16. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के द्वारा योजना हेतु आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार, झारखण्ड कार्यालय को ससमय समर्पित करते हुए इसका संसूचन अधोहस्ताक्षरी को किया जायेगा।

(मुकेश कुमार)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक :50/आ.
राँची, दिनांकः 02-07-2026

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/निदेशक, खेलकूद एवं युवाकार्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची / विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/ विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ आंतरिक वित्तीय सलाहकार /जिला क्रीड़ा पदाधिकारी, धनबाद/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, धनबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Tourism, Art Culture, Sports and Youth Affairs Department (Art Culture, Spo

चालू वितीय वर्ष 2026-27 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

।

पत्र संख्या - 1/ST-03-32/2025/-50

दिनांक - 02-Jul-2026

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 52 42020310222000545 4202 - शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय 03 - खेलकूद तथा युवा सेवा 102 - खेलकूद स्टेडिया 22 - स्वामी विवेकानन्द स्मारक सहित राज्य के विभिन्न खेल संरचनाओं का निर्माण एवं उन्नयन 00-NA 05 - निर्माण **State Scheme**	36644	DHNDAD023 ADITYA RANJAN DY.COMMISSIONER DHANBAD 45 - निर्माण कार्य	10,000,000.00 रुपये एक करोड

State Scheme : CONSTRUCTION & UPGRADATION OF STATE, DISTRICT & SUB DIVISION LEVEL STADIUM/ASTROTURF SWAMI VIVEKANAND MONUMENT/NCC BUILDING & SPORTS INFRASTRUCTURE(1787)

Centeral Scheme : NA

योग: रुपये एक करोड 10,000,000.00

क्रमिक योग:

(MUKESH KUMAR)

SECRETARY

10.92.23.5

Run Date: 2/7/2026